न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/90/2019

प्रवेश तिथि 23.09.19

अपीलार्थी
श्री प्रतापसिंह एडवोकेट,
कोर्ट कैम्पस, बहरोड, तहसील बहरोड
जिला अलवर (राज.)–301701

बनाम

प्रत्यर्थी
लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी बहरोड़

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

दिनांकः 03.10.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 02.08.19 के माध्यम से बिन्दू सं0 1 में प्रत्यर्थी विभाग के उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ में तैनात रहे तत्कालीन कनिष्ठ सहायक श्री जसवन्त यादव के विरूद्ध तहसील मुण्डावर में कार्यरत रहते विभागीय कार्यवाही में रोके गए इन्क्रीमैंट का अंकन जो सेवा पुस्तिका में किया गया है। उन अंकनों की प्रमाणित प्रतियां सहित बिन्दू सं. 2 श्री हरिकिशन शर्मा सहायक प्रशासनिक अधिकारी को उपखण्ड अधिकारी कार्यालय बहरोड़ में प्रति नियुक्ति पर लगये जाने वाले आदेश की प्रति देने तथा उक्त को प्रति नियुक्ति पर लगाये जाने हेतु उच्च अधिकारियों से ली गई अनुमति की प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
5. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 02.08.19 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 19.09.19 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2019/778–76 दिनांकः 23.09.19 के माध्यम तलब कर दिनांकः 03.10.19 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। प्रत्यर्थी की आरे कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही अपीलार्थी उपस्थित आया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक लोक सूचना/2019/1403 दिनांक 01.10.2019 से जवाब अपील पेश किया गया जो अभिलेख पर लिया गया।

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांकः 02.08.19 में अंकित बिन्दू सं0 1 व 2 पर अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक लोकसूचना / 19 / 1193 दि. 28.08.19 के माध्यम से जबाव प्रेषित किया जा चुका है। प्रत्यर्थी द्वारा न्याया0 हाजा को प्रेषित जवाब के साथ संलग्न न्याया0 हाजा के नोटिस प्रति पत्रांक 775–76 दि0 23.09.19 पर भी अपीलार्थी द्वारा "उक्त सूचना की मुझे आवश्यकता नहीं है, प्रकरण को खारिज करने की कृपा करें मुझे अब इस सूचना की आवश्यकता नहीं है सूचना नहीं चाहिए" का अंकन किया गया है।
9. उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज कर निस्तारित की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)